

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 26.02.2024

निर्णय उद्घोषित: 27.05.2024

सि.वि.(मु.) 1974/2023 और सि.वि.आ. 61746/2023

सुरिंदर सिंह सूद

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रेम पॉल आहूजा,  
अधिवक्ता।

बनाम

राजिंदर सिंह और अन्य

..... प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री खोजा सिद्दीकी, श्री  
अश्विनी कुमार और श्री सुशांत  
सिंह, अधिवक्तागण प्र-1 और  
के लिए 2

कोरम:

माननीय सुश्री न्यायाधीश शालिन्दर कौर

निर्णय

1. याचिकाकर्ता सी.एस. संख्या 11410/2016 शीर्षक "राजिंदर सिंह एवं अन्य बनाम राम कुमार पवार एवं अन्य" में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश

01, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली (इसके बाद विचारण न्यायालय के रूप में संदर्भित) के पारित दिनांकित 31.07.2023 के आदेश से व्यथित हुए जिसमें कुछ दस्तावेजों को पेश करने की मांग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151( इसके बाद "सि.प्र.सं" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित आदेश 11 नियम 12 और 14 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया था। इस प्रकार, वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकारिता की प्रार्थना करते हुए पेश की गई है।

2. न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, वर्तमान मामले में प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता मेसर्स श्री वियाया एक्सपोर्ट्स के नाम से मानव बाल की बिक्री और खरीद के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वाई-118, रीजेंसी पार्क-II, डीएलएफ-IV, गुड़गांव-122009 में है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी स.1 इसमें हिम्मत गैस सेवा के नाम से एक गैस एजेंसी का व्यवसाय संचालित होता है जिसका पंजीकृत कार्यालय दुकान सं.1, हीराला मार्केट, पूथ कलां, नई दिल्ली में है। यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2, प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 3 भी मानव बाल के निर्यात के व्यवसाय में भी शामिल है।

3. इस मामले में याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी 2 है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 वादी हैं और प्रत्यर्थी संख्या 3 सिविल वाद (वाणिज्य) संख्या 11410/2016 में सि.वि.(मु.) 1974/2023

प्रत्यर्थी संख्या 1 है, जो विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है।

4. दिनांक 18.09.2007, को प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल वाद (वाणिज्य) 2273/2007 शीर्षक “राजिंदर सिंह एवं अन्य बनाम राम कुमार पंवार एवं सुरिंदर सिंह सूद” के तहत एक वाद जिसमें याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 के खिलाफ वादकालीन ब्याज सहित 77,07,654/- रुपये की वसूली की मांग की गई दायर किया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.12.2007 को आज्ञापक व्यादेश और 5,89,500/- रुपये की वसूली के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3 के खिलाफ “सुरिंदर सिंह सूद बनाम राम कुमार पंवार” शीर्षक से एक वाद दायर किया।

5. दिनांकित 26.02.2014 के आदेश के अनुसार, इस न्यायालय ने उपरोक्त दोनों वादों को समेकित किया और अभिनिर्धारित किया कि एक वाद में साक्ष्य को संबंधित वाद में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के धनीय अधिकारिता से संबंधित दिनांकित 24.11.2015 की अधिसूचना लागू हुई थी। उक्त अधिसूचना के मद्देनजर, इस न्यायालय के समक्ष लंबित सिविल वाद (मूल पक्ष) संख्या 2273/2007 वाद विद्वान जिला न्यायाधीश (पश्चिम), तीस हजारी, दिल्ली की न्यायालय में स्थानांतरित कर सि.वि.(मु.) 1974/2023

दिया गया था। इसके बाद वाद को सिविल डीजे संख्या 11410/2016 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

6. दिनांक 29.11.2019 को याचिकाकर्ता ने सि.प्र.सं. आदेश 11 नियम 12 और 14 के साथ पठित सि.प्र.सं. 151 के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें आयकर विवरणी, संबंधित वर्षों की तुलन पत्र आदि जैसे कुछ दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक निर्णयों के साथ अपने आवेदन के समर्थन में दिनांकित 6.07.2023 को लिखित निवेदनों को दायर दायर किया है।

7. दिनांकित 31.07.2023 के आक्षेपित आदेश के तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आवेदन में मांगे गए ऐसे किसी भी निर्देश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने इस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम पॉल आहूजा, ने निवेदन किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सि.प्र.सं के आदेश 11 नियम 12 के प्रावधानों की अनदेखी की और याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया। **एम.एल. सेठी बनाम आर.पी. कपूर, (1972) 07 एस.सी. सी.के. 0010**, में माननीय उच्चम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया,

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय किसी विवाद को हल करने के लिए किसी भी स्तर पर दस्तावेजों को निवेदन करने का आदेश दे सकता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 12 और 14 के तहत आवेदन के समर्थन में दायर लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके द्वारा उद्धृत निर्णयों पर भी चर्चा नहीं की।

10. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुचित तरीके से कहा है कि उक्त आवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा उत्तर दाखिल किया गया है, जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा प्रकार का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर शपथपत्र सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 12 और 14 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 का यह कर्तव्य था कि वे दिनांकित 29.11.2019 के आवेदन पर उत्तर दाखिल करें और याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन में किए गए प्रकथनों को स्वीकार या अस्वीकार करें।

12. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोधित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण, जैसा कि सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 12 और 14 के तहत आवेदन में उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी संख्या 3 के खिलाफ 77,07,654/- रुपये की वसूली के लिए दायर किए गए वाद में किए गए झूठे दावों का खंडन करेगा।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

- I. **राजकिशोर प्रसाद और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, ए.आई.आर. 1979 ओ.आर.आई. 96।**
- II. **मैसर्स जे.एस. कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम दामोदर रूट, ए.आई.आर. 1987 ओ.आर.आई. 207।**
- III. **श्री निवास बनाम चुनाव न्यायाधिकरण लखनऊ और अन्य, ए. आई.आर. 1955 ए.एल.एल. 251।**
- IV. **राज सरोगी बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस, 2001 (60) डी.आर.जे. 138 (डी.बी.)।**

14. प्रत्यर्थागण की ओर से निवेदनों का जोरदार तरीके से विरोध किया गया, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य विवाद का उचित निर्णय किया है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अपने साक्ष्य में अभिलेख को मँगवाने का पर्याप्त अवसर होगा, अगर वह दस्तावेजों को साबित करने के लिए आवश्यक समझता है। इसके अलावा, मामला प्रत्यर्थागण के साक्ष्य के समापन के चरण में है और याचिकाकर्ता कार्यवाही में देरी करने के इरादे से तुच्छ आवेदन पेश कर रहा है।

15. सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 12 और 14 सिविल मामलों में दस्तावेजों की प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण को नियंत्रित करते हैं। जबकि आदेश 11 नियम 12 पक्षकारों को सिविल वाद में विपरीत पक्षकार से संबंधित दस्तावेजों के प्रकटीकरण का अनुरोध करने की अनुमति देता है। सि.प्र.सं. के आदेश 11 नियम 14 में किसी भी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है और न्यायालय किसी भी पक्षकार को शपथ पर, ऐसे वादों में किसी भी मामले से संबंधित उसके कब्जे या शक्ति में मौजूद दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दे सकती है।

16. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थागण को निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश देने की मांग कर रहा है:-

- “1. निर्धारण वर्ष दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2019 के लिए वादी द्वारा दाखिल आयकर विवरणी, उनके, देनदारों और लेनदारों के साथ संबंधित विवरणी का स्तिथि विवरण।
2. उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए वादियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आयकर आदेशों की प्रमाणित प्रतियां।
3. संपत्ति संख्या ए 56, मुल्तान नगर, नई दिल्ली के लिए ऋण आवेदन से संबंधित दस्तावेज।
4. मेसर्स हिरमनाट गैस अभिकरण और वादी संख्या 1 की वित्तीय वर्षों की तुलनपत्र जैसा कि ऊपर बताया गया है।”

17. विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में निम्नानुसार अभिनिर्धारित करते हुए आवेदन को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अनिच्छा दिखाई है:-

“इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान वाद वादी द्वारा कुछ राशि की वसूली की मांग करते हुए दायर किया गया है और दिनांक 26.02.2014 पर इस मामले में मुद्दे विरचित किए गए थे। दिनांकित 26.02.2014 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में केवल एक मुद्दा विरचित किया गया है, जिसे वादियों द्वारा साबित करने की आवश्यकता है। अभिलेख के अवलोकन से आगे पता चलता है कि वादी संख्या 1 की आंशित प्रतिपरीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। इस न्यायालय का आगे यह विचार है कि मामले का निर्णय लेते समय, न्यायालय वादियों द्वारा दायर दस्तावेजों पर गौर करेगा और यदि वादियों द्वारा दायर दस्तावेजों में कोई कमी होगी, तो उन्हें उसी के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी, वादी संख्या 1 अभी भी प्रतिपरीक्षा के अधीन है और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रासंगिक प्रश्न पूछकर वादी के मामले पर आक्षेप कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि वर्तमान आवेदन में अनुरोध किए गए ऐसे किसी भी निर्देश को देने



की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, इस आवेदन को अनुमति नहीं दिए जाने के कारण निपटाया जाता है।”

18. प्रासंगिक रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने 77,07,654/- रुपये की वसूली के लिए न्यायालय के समक्ष यह वाद लाया है, तदनुसार, उनके मामले को साबित करने का भार उन पर है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य निवेदित करेंगे और दस्तावेजों में किसी भी कमी के मामले में, यदि वे संबंधित दस्तावेज निवेदित करने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेगा। इसके अलावा, निवेदन किए जाने वाले कुछ दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखों की प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते समय अभिलेख को मँगवाने का अवसर मिलेगा।

19. विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अभी भी प्रतिपरीक्षा के अधीन है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिपरीक्षा के दौरान उससे प्रासंगिक प्रश्न पूछने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

20. आक्षेपित आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका को लंबित आवेदन के साथ खारिज किया जाता है।

न्या. शालिन्दर कौर

मई 27, 2024

एस.एस.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।